



वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय

5वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनाॅट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

फा.सं.: . GoM-Revenue Analysis/GSTC/2021

दिनांक: 13.11.2025

कार्यालय-ज्ञापन

विषय जीएसटी (GST) से प्राप्त राजस्व के विश्लेषण पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) में आंशिक संशोधन।

जीएसटी (GST) से प्राप्त राजस्व के विश्लेषण पर मंत्रियों के समूह से सम्बंधित दिनांक 13.06.2025 के कार्यालय - ज्ञापन संख्या GoM-Revenue Analysis/GSTC/2021 में आंशिक संशोधन के परिणाम स्वरूप, मंत्रियों के समूह (GoM) की संरचना अब निम्नानुसार होगी:

क्रम सं.	नाम	पदनाम और राज्य	स्थिति
1.	डॉ प्रमोद सावंत	मुख्यमंत्री, गोवा	संयोजक
2.	श्री सम्राट चौधरी	उप मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
3.	श्री अजीत अनंतराव पवार	उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री; योजना एवं राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
4.	श्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू	उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना, ऊर्जा मंत्री, तेलंगाना	सदस्य
5.	श्री पय्यावुला केशव	वित्त, योजना, वाणिज्यिक कर और विधायी कार्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
6.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
7.	श्री कनुभाई देसाई	वित्त मंत्री, गुजरात	सदस्य
8.	श्री हरपाल सिंह चीमा	वित्त मंत्री, पंजाब	सदस्य
9.	श्री थंगम थेनारासु	वित्त और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री, तमिलनाडु	सदस्य
10.	श्री कृष्ण बायरे गौडा	राजस्व विभाग मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
11.	श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल	सदस्य
12.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त और संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य

2. जीएसटी से प्राप्त राजस्व के विश्लेषण पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) के अन्य निर्धारित कार्यक्षेत्र (Terms of Reference - ToR) अपरिवर्तित रहेंगे।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी जा रहा है।

(डिजिटली हस्ताक्षरित) नाम एवं पदनाम

राजीव रंजन

दिनांक- 13.11.2025

सेवा में,

मंत्रियों के समूह (GoM) के माननीय सदस्य

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय वित्त मंत्री के निजी सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. माननीय वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों के नोडल अधिकारी।
4. राजस्व सचिव के प्रधान निजी सचिव (PPS), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष CBIC के प्रधान निजी सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. अतिरिक्त सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (TPRU) के प्रधान निजी सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. संयुक्त सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. सभी राज्यों के नोडल अधिकारी।